FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

28/11

2024/441

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

कान्ता मीणा V/S प्रभु मीणा वगै० R/o- सैलादांता

किस्म मुकदमा 212 R.T. Act नं. 195/प्रत्यक्ष/सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/9/24	यह प्रार्थना पत्र सरिस्ता रिपोर्ट के बाद वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। पत्रादि का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर ध्यान पूर्वक मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के हक में है। सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थीया के पक्ष में बनता है। प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि खाता सख्या 79 के खसरा सख्या 475 वाके ग्राम सैलादाता प0म0 देवा का खेडा पर कोई निर्माण कार्य नही करें,अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग नही करें एंव राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें । कोई आपति हो तो आगामी तारीख पेशी पर पेश करें।प्रार्थीया आगामी दिनांक को अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज व आदेश की प्रति तामील का शपथ पत्र आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत आवश्यक रूप से पेश करें । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक :— 18/11/2024 को पेश हो। [signature]	आदेशिका 1567 19/9/24
18/11/24	पत्रावली पेश। पुर्व आदेशानुसार कार्यवाही। [illegible] हेतु पत्रावली दिनांक 28-11-24 को पेश हो। [signature]	
28/11/24	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं० 6 उप० है। प्रार्थीया ललिता वकील प्रार्थीया की ओर से प्रा०पत्र प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाग जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया से राजीनामा / आश्वासन दिया है कि वे उसके हिस्से की भूमि पर कब्जे/काश्त व आने जाने मे कोई परेशानी नही करेगे। भविष्य मे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को परेशान किये जाने पर प्रार्थीया को नवीन प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करने की कृपा करें। प्रा०पत्र मे अंकित तथ्यो पर मनन करने उपरान्त प्रा०पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर भविष्य मे वाद कारण उत्पन्न होने पर प्रार्थीया को नवीन प्रकरण पेश करने की अनुमति दी जाकर प्रकरण मे कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	